



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर चोरी करने के आरोपी सोनू उर्फ सुधीर को हुआ 08 माह का कारावास व 3500 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि वर्ष-2002 में अभियुक्त सोनू उर्फ सुधीर पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा दुकान में चोरी करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके विरुद्ध थाना बडौत पर मु0अ0सं0- 599/2002 धारा 380/457/411 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 20.01.2025 को मा0 न्यायालय जेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सोनू उर्फ सुधीर को दोषी पाते हुए 08 माह का कारावास व 3500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है । बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में हत्या का प्रयास करने के आरोपी अनस अन्सारी को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में अभियुक्त अनस अन्सारी पुत्र नूर मौहम्मद निवासी नई बस्ती सिंघावली अहीर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा हत्या का प्रयास करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 191/2020 धारा 307/504/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 20.01.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अनस अन्सारी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



श्री इन्द्रपाल सिंह
एडीजीसी जनपद बागपत



मुख्य आरक्षी बुद्ध प्रकाश कोर्ट
पैरोकार थाना सिंघावली अहीर



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में हत्या करने के आरोपी विककी उर्फ विकास को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कारावास 60 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-



श्री अशोक
एडीजीसी जनपद बागपत

अवगत कराना है कि वर्ष 2023 में अभियुक्त विककी उर्फ विकास पुत्र संजय निवासी ग्राम पावलां बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 218/2023 धारा 302/504/506/34 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 20.01.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-4 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त विककी उर्फ विकास को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



आरक्षी हरदीप सिंह कोर्ट
पैरोकार थाना कोतवाली बागपत

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली खेकडा दिनांक 20/01/25

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 22/25 धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

तोहीद पुत्र निसार निवासी मौहल्ला शेखपुरा कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 367/24 धारा 304(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2.मु0अ0स0 22/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह परमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2-है0का0 497 राधेश्याम थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

3-है0का0 392 उमेश भाटी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

4-है0का0 113 मनीष नागर थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकडा


दिनांक 20.01.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 18 पच्चे देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 18 पच्चे देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग 23/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

आमिर पुत्र हाजी हसन निवासी मोहल्ला शेखपुरा कस्बा खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 18 पच्चे देशी शराब उ0प्र0 मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री कुलजीत सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत।
2. है0का0 516 सतेन्द्र गिरि थाना खेकडा जनपद बागपत।
3. का0 455 विजय सैनी थाना खेकडा जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 20.01.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-राहुल पुत्र जगदीश निवासी सिखैडा थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-उपदेश पुत्र जगदीश निवासी सिखैडा थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-का0 1065 आलोक कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-का0912 सूरज सिकरवार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनाँक 20-01-2025

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस ने गुमशुदा 13 वर्षीय बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय 02 घण्टे में सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया ।

कार्यवाही-

दिनाँक 20.01.2025 को थाना बड़ौत पर सूचना प्राप्त हुई कि 01 बच्चा उम्र 13 वर्ष बिजरौल रोड़ फाटक के पास कस्बा बड़ौत बिना बताये कहीं चला गया है । सूचना प्राप्त होने पर थाना बड़ौत पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना बड़ौत पर टीम गठित कर 13 वर्षीय बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय 02 घण्टे में सकुशल बरामद किया गया तथा उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजीव चौधरी थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 59 विजयपाल सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 316 नागेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 20-01-2025

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 23/25 धारा 137(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 24/25 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित 03 अपहृताओं को सकुशल किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 23/25 धारा 137(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 24/25 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित 03 अपहृताओं को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 642 सौरभ सिरौही थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 7-म0का0 532 पूजा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 8-म0का0 423 अमृता थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 20-01-2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र महेश निवासी ग्राम पदडा
अहमदशाहपुर थाना कोतवाली बागपत
जनपद बागपत ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 2-है0का0 422 राजन थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-है0का0 540 राजेन्द्र थाना कोतवाली बागपत ।